वेंचर कैपिटल फंड अनुसूचित जातियों के लिए

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

Follow us on :

अनुसूचित जाति उद्यमियों को वित्तीय सहायता के लिए लक्षित 'अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड' की योजना के लिए दिशानिर्देश नीचे दिये गये हैं

1. पात्रता मानदंड

- विनिर्माण, सेवाओं और सम्बद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाएं/इकाईयां, जिसमें टेक्नोलॉजी बिजनैस इन्क्यूबेटर्स में शुरू की जा रही स्टार्ट–अप और इकाईयां शामिल है, इकाई में निवेशित फंड से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा।
- रु. 50 लाख तक सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए – कंपनियां जिनकी कम से कम 51 प्रतिशत स्टेकहोल्डिंग पिछले 6 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति उद्यमियों के पास है अथवा कोई नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म अथवा साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) अथवा किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य स्थापना, सुदृढ़ व्यापारिक मॉडल के साथ है जो कि 6 माह से अधिक के लिए प्रचालन में बनी हुई है, और उत्तराधिकारी कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति प्रमोटर्स की कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता है।
- रु. 50 लाख से अधिक सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए – कंपनियां जिनकी कम से कम 51 प्रतिशत स्टेकहोल्डिंग पिछले 12 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति उद्यमियों के पास है अथवा कोई नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म अथवा साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) अथवा किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य स्थापना, सुदृढ़ व्यापारिक मॉडल के साथ है जो कि 12 माह से अधिक के लिए प्रचालन में बनी हुई है, और उत्तराधिकारी कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति प्रमोटर्स की कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता है।
- प्रौद्योगिकी उन्मुख नवाचार परियोजनाओं के लिए:

  क. संतोषजनक प्रगति के अध्ययीन तीन वर्ष की अवधि के लिए रु. 10 लाख औसतन प्रति वर्ष की सीमा तक के अध्ययीन संचालन और अनुरक्षण की लागत को पूरा करन के लिए इन्क्यूबेशन वित्तपोषण हेतु टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) द्वारा चुने गये नवाचारी कार्यक्षेत्र।

  ख. पहली बार अनुसूचित जाति उद्यमियों द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता वाली नई कंपनियां जो प्रौद्योगिकी उन्मुख नवाचारी परियोजनाओं में कार्य करती रही हैं:

  i. आईआईटी, एनआईटी, अग्रणी बिजनेस स्कूल, विश्वविद्यालय, संस्थान, मेडिकल कॉलेज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एनएसटीईडीबी से समर्थित अथवा कॉर्पोरेट द्वारा समर्थित, परियोजनाएं जिनमें वाणिज्यीकरण की अच्छी संभावना हो और जो परियोजना क्रियान्वयन स्थिति में हो; और/अथवा

  ii. इन्क्यूबेशन सेंटरों की सहायता के बिना लेकिन वाणिज्यिीकरण की अच्छी संभावना सहित पेटेंट/कॉपीराइट से युक्त और परियोजना जो क्रियान्वयन स्थिति में हो।

  iii. विधिवत मूल्यांकन के पश्चात भारत सरकार के विभागों द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं।
- प्रस्ताव जमा करते समय उद्यमी द्वारा अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- प्रस्ताव जमा करते समय इन्क्यूबेशन सेंटर/कॉर्पोरेट से दस्तावेजी प्रमाण/प्रमाणपत्र अथवा अनुसूचित जाति के उद्यमी के नाम पर पेटेंट/कॉपीराइट संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- भारत सरकार के विभाग का संस्वीकृति पत्र।
- ई–दस्तावज भी स्वीकार्य होगा।
- रु. 5 करोड़ से अधिक की संस्वीकृत सहायता वाली कंपनियों के लिए ट्रस्ट/फंड मैनेजर द्वारा निर्मुक्त राशि भारत सरकार के विभाग/बैंक द्वारा निर्मुक्त ऋण की किस्त के अनुपात में होगी, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें उपर्युक्त बिन्दु 'क' में यथा उल्लिखित टेक्नोलॉजी बिजनस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) द्वारा चुने गये नवाचारी कार्यक्षेत्र वर्ग के तहत सहायता प्राप्त हो।

क्र.सं.	संकेतक	संशोधित
1.	निवेश का आकार	रु. 10 लाख से रु. 15 करोड़ तक सकल सहायता कंपनी के वर्तमान निवल मूल्य से दो गुना से अधिक नहीं है।

2.	वित्तीय सहायता की अवधि	डिबेंचर के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक। इक्विटी के मामले में, बाहर निकलने का निर्णय केस–दर–केस के आधार पर अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष तक लिया जाएगा।

3.	मूलधन पर अधिस्थगन	डिबेंचर के मामले में, मामले के आधार पर लेकिन निवेश की तिथि से 36 माह से अधिक नहीं । निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर कंपनी में निवेश की तारीख से ब्याज भुगतान शुरू होगा।
4.	वित्तीय सहायता की प्रकृति	क. शेयर (सीसीपीएस) (कॉर्पस का अधिकतम 25 प्रतिशत) निम्नलिखित के अधीन निवेश किया जा सकता है: i. इस तरह के निवेश पात्रता मानदंड के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली नवीन प्रौद्योगिकी–उन्मुख परियोजनाओं/स्टार्ट–अप तक सीमित हो सकते हैं। ii. किसी कंपनी में अधिकतम इक्विटी निवेश 49 पतिशत हो सकता है, जो अधिकतम रु. 5 करोड़ के निवेश के अधीन है। iii. इस तरह के निवेश हर कंपनी में शेयरों के अंकित मूल्य पर लागू होंगे। iv. फंड के तहत हर निवेश में, न्यूनतम 25 प्रतिशत निवेश डिबेंचर के रूप में होगा। ख. अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सीडीसी), वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी), गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आदि। उन सभी कंपनियों के लिए उपकरणों पर विचार किया जाएगा जो ऊपर 'क' श्रेणी में नहीं आते हैं। ग. कुल वित्तीय सहायता में से अधिकतम 20 प्रतिशत तक सहायता अगले 10 वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्यशील पूंजी अंतर फंडिंग के लिए चिन्हित की जाएगी। ऐसी सहायता परिक्रमी प्रकृति की नहीं होगी। इस सहायता की मात्रा केस–दर–केस आधार पर परियोजना की आवश्यकता के अनुसार निवेश समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी। ऐसी सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन फंड के तहत वर्तमान लाभार्थियों के लिए भी विस्तारित की जा सकती है: i. खाता स्टैंडर्ड होना चाहिए। ii. लाभार्थी कंपनी ने कार्यशील पूंजी सहायता के लिए राष्ट्रीयकृत/निजी/कोऑपरेटिव बैंकों में आवेदन किया होना चाहिए और सहायता परियोजना नकदी प्रवाह अनुमानों के अनुसार अपेक्षित राशि से कम हो या ऐसे बैंक ने व्यवहार्यता को छोड़कर किसी अन्य वजह से सहायता देने से मना किया हो। यह सहायता फंड के समग्र फंडिंग पैटर्न के भीतर होगी।
5.	फंडिंग पैटर्न	फंड के तहत निवेश को निम्नानुसार वगीकृत किया जाएगा: 1. रु. 5 करोड़ तक वित्तीय सहायता – इस श्रेणी के तहत निवेश की परियोजना लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत तक वित्त पोषित किया जाएगा और परियोजना लागत की शेष राशि का 25 प्रतिशत प्रवर्तकों द्वारा या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारो सब्सिडी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। 2. रु. 5 करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता – इस श्रेणी के तहत निवेश परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक किया जाएगा। परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत केन्द्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रवर्तकों द्वारा या सरकारी सब्सिडी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, और परियोजना लागत के 25 प्रतिशत को या तो प्रवर्तकों द्वारा या बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है, के रूप में मामला हो सकता है। ऐसे मामले में जहां सब्सिडी उपलब्ध है, प्रवर्तकों को परियोजना लागत का कम से कम 15 प्रतिशत योगदान करना होगा।

6.	निवेश के माध्यम से अनुमानित प्रतिफल	क. इक्विटी निवेश में बायबैक/रणनीतिक निवेश/आईपीओ के माध्यम से निकासी के समय पर वापसी 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष या जो भी अधिक हो, मूल्यांकन के अनुसार। ख. ऋण/परिवर्तनीय साधन – 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष (महिलाओं*/दिव्यांग** उद्यमी–3.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष) [*एक एससी महिला उद्यमी के स्वामित्व वाली कंपनी पर विचार करने के लिए एससी महिला उद्यमी को कंपनी में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का मालिक होना चाहिए और उसे कंपनी का प्रबंध निदेशक होना चाहिए। **दिव्यांग उद्यमियों के मामले में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए याग्यता के रूप में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।]
7.	बाहरी तंत्र	• प्रवर्तकों/कंपनियों, रणनीतिक निवेशों, स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग या किसी भी अन्य बाहरी प्रक्रिया द्वारा परिचालन, बायबैक/मोचन से भुगतान के माध्यम से बाहर निकलें। बाहर निकलने की प्रक्रिया वित्तीय सहायता और कंपनी के पदर्शन के आधार पर केस–दर–केस आधार पर निर्धारित की जाएगी।

8.	सुरक्षा	निवेश के दौरान निम्नलिखित परिकल्पित प्रतिभूतियां हो सकती है: क. योजना के तहत वित्त पोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपत्तियों को सुरक्षा के लिए लिया जाएगा। परियोजना की संपत्ति में भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी और लाइसेंस/पेटेंट अधिकार शामिल होंगे। म. ख. बैंकों/बैंकों के साथ ऋण के लिए आवेदन करने के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ परिसंपत्तियों पर समान रूप में अधिकार। ग. निवेश से बाहर बनाई गई परिसंपत्तियों का दूसरा प्रभार जहां पहला प्रभार बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा सृजित। घ. प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों का रेहन और कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाने और जारी किये गये एवं प्रदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा। तथापि, गिरवी रखे गये शेयरों का प्रतिशत केस–दर–केस आधार पर तय किया जाएगा। ङ परिसंपत्तियों के प्रभार के अलावा, पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) और वचन पत्र लिया जाएगा। च. बायबैक समझौते के साथ प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी ली जाएगी। छ. परियोजना भूमि के रूप में कोई बंधक उपलब्ध नही होने की स्थिति में, उधारकर्ता संपार्श्विक प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर सकता है।